पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित अक्सरहां पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) एवं उनके उत्तर

प्रश्न–1 **PCC Grade एवं Cube Test की जाँच कैसे एवं कहाँ कराई जा सकती है?**

उत्तर :– इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3279, दिनांक–22.05.2019 में प्रावधान किया गया है कि "मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना" से संबंधित सामग्रियों की नमुनों की जाँच पथ निर्माण विभाग अंतर्गत संबंधित जिलों में अवस्थित पथ प्रमंडल/राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल/अंचल स्तर पर स्थापित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में करायी जा सकती है तथा इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, परिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में निर्धारित शुल्क जमा कराकर भी इसकी जाँच करायी जा सकती है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रमंडलों के माध्यम से भी इसकी जाँच निःशुल्क करायी जा सकती है।

प्रश्न–2 **क्या दूसरे कनीय अभियंता द्वारा कराये गये कार्य का MB वर्तमान में कार्यरत कनीय अभियंता/तकनीकी सहायकों द्वारा किया जा सकता है?**

उत्तर :– इस संबंध में विभागीय पत्रांक 5100, दिनांक–14.08.2019 में प्रावधान किया गया है कि जिन जिलों में पंचायती राज विभाग द्वारा सृजित पदों के विरूद्ध तकनीकी सहायकों की नियुक्ति हुई है, वहाँ तकनीकी सहायक मापी दर्ज कर सकेंगे।

प्रश्न–3 **गली–नाली निर्माण कार्य में Contractor's Profit कैसे कम करना है?**

उत्तर :– प्राक्कलन Schedule of Rate के आधार पर तैयार किया जाता है। Schedule of Rate (अनुसूचित दर) में 10% (दस प्रतिशत) Contractor's Profit सम्मिलित रहता है। अतः विभागीय रूप से कार्य करने पर प्राक्कलन तैयार करने के बाद जो योजना की कुल राशि आती है, उसमें से Contractor's Profit का दर घटा लिया जाय।

प्रश्न–4 **पंचायत सरकार भवन के प्राक्कलन पर LAEO द्वारा TA दिया जा रहा है। क्या करें?**

उत्तर :– विभागीय पत्रांक–2प०/पं०स०भ०–09–09/2018(खंड)/03(स्वी०), दिनांक–03.06.2019 के द्वारा LAEO के अधीक्षण अभियंता को पंचायत सरकार भवन का प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति एवं अन्य मार्गदर्शन प्रदत्त है। वर्णित पत्र विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड है, तद्नरूप कार्य अपेक्षित है।

प्रश्न–5 **Fire Hydrant क्या है और उसे कैसे सामंजन करेंगे?**

उत्तर :– Fire Hydrant /Filling Station जलापूर्ति योजना की ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी आपातकाल या आकस्मिकता की स्थिति में तीव्रता से जल का भंडारण अग्निशामक वाहन/टैंकर में किया जा सके।

इसका संयोजन Delivery Main (Distrubution Pipe) में 80mmx80mmx50mm size का GI Tee संयोजन कर उचित उँचाई पर 50mm GI Pipe लगाकर Check Valve/Gate Valve के साथ किया जाता है।

प्रश्न–6 **HDPE/MDPE पाईप को कार्यस्थल पर कैसे जाँच करें?**

उत्तर :– निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए HDPE/MDPE की जाँच किया जा सकता है:–

i) HDPE पाईप का रंग काला एवं MDPE पाईप का रंग Sky Blue होता है।

ii) HDPE पाईप पर समान अंतराल पर नीले रंग का Minimum तीन Longitudinal Strips होता है। इन Strips की Minimum चौड़ाई 3mm एवं गहराई 0.2mm से कम होती है। Strips एवं पाईप का Resin समान होता है अर्थात स्पर्श करने पर दोनो एक समान प्रतीत होता है।

iii) HDPE एवं MDPE पाईप पर इसका Specification (DN, PN एवं PE) Engraved रहना चाहिए। Nominal outer diameter (DN) को कार्यस्थल पर PI tape/circometer की सहायता से जाँच किया जा सकता है।

iv) Vernier/Micrometer से Pipe का Thickness लिया जा सकता है एवं HDPE पाईप IS 4984:2016 की विशिष्टियों के अनुरूप है या नहीं, जाँच किया जा सकता है।

पाइप पर ISI Mark एवं निर्माता कंपनी का CM/L संख्या Engraved रहना चाहिए। CM/L Number द्वारा Manufacturer Company की जानकारी ली जा सकती है।

प्रश्न–7 **पानी की टंकी को MS Clamp से कैसे Fix किया जा सकता है?**

उत्तर :– इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3490 दिनांक–11.06.2020 में प्रावधान किया गया है। कि पानी की टंकी को 32mmX5mm आकार के Mild steel clamp के दो रिंग (एक टंकी के उपरी मध्य छोर तथा दूसरा टंकी के नीचली मध्य छोर) लगातार प्रत्येक रिंग में 3–3 L-type flats से एक छोर तथा दूसरे छोर को स्टील स्ट्रक्चर के उपरी भाग से समान अंतराल पर Fix किया जाय।

प्रश्न–8 **विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के लिए स्पष्ट निर्देश है की पी०सी०सी० पथ के स्थान पर पेभर ब्लॉक लगाया जाना है, क्या यह चौदहवीं एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत होने वाले योजनाओं पर भी लागू होगा जिन्हें पंचायत समिति या मुखिया द्वारा निर्माण करवाना है यदि हाँ तो इसका विभागीय पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ है, जिससे पंचायत समिति नहीं मान रही है?**

उत्तर :– इस संबंध में विभागीय पत्रांक 5778, दिनांक–11.09.2019 में प्रावधान किया गया है कि वैसे "ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना" जिसका क्रियान्वयन शेष है, वहाँ पर पेभर ब्लॉक लगाना सुनिश्चित किया जाय। इसके अलावे इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3388, दिनांक–09.06.2020 के द्वारा भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न–9 **पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में तकनीकी सहायकों की भूमिका कृप्या कर स्पष्ट किया जाए? क्योंकि मापी पुस्त से लेकर अन्य कार्यों के लिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है और न ही कोई विभागीय पत्र निर्गत हुआ है?**

उत्तर :– इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–2प०/पं०स०भ०–09–09/2018(खंड)/03(स्वी०), दिनांक–03.06.2019 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है।

प्रश्न–10 **वार्ड सदस्यों के द्वारा अक्सर यह पूछा जाता है कि निश्चय योजनांतर्गत वैसी पूर्ण योजनायें, जिनके कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुए हैं, उसके सुधार हेतु आवश्यक राशि कहाँ से प्राप्त होगी एवं इसका क्या निराकरण हैं ?**

उत्तर :– निश्चय योजना अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन प्राक्कलन में वर्णित विशिष्टियों के अनुरूप ही किया जाना है। कार्य अगर मानक के अनुरूप नहीं हुए हैं तो संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्राक्कलन में वर्णित विशिष्टियों के अनुरूप आवश्यक सुधार किया जाएगा। इस हेतु अलग से कोई भी राशि देय नहीं है। WIMC द्वारा अगर विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराए जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस कार्य की मापी, माप पुस्त में दर्ज नहीं की जा सकती है एवं विभागीय पत्रांक 1184, दिनांक–14.02.2019 में प्रावधान किया गया है कि प्राक्कलन के अनुरूप अगर सामग्रियों का उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसे सभी दृष्टांतों में किए गये व्यय निष्फल व्यय की श्रेणी में आते है। जो भी निष्फल व्यय किया गया है, वह WIMC के अध्यक्ष से वसूली होगा। उनके विरूद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत नीलामपत्र वाद दायर कर त्वरित निष्पादन कराते हुए वसूली सुनिश्चित कराई जाएगी।

प्रश्न–11 **जल स्ट्रेनर क्या है और इसका प्रयोग क्यों होता है?**

उत्तर :– स्ट्रेनर (जाली) एक छिद्र युक्त पाईप होता है जो बोरिंग निर्माण के दौरान उपयुक्त Water bearing strata (aquifer) पर स्थापित किया जाता है। इस स्ट्रेनर के माध्यम से पानी फिल्टर होकर बोरिंग के अंदर जमा होता है और मोटर पंप के द्वारा इसे लिफ्ट कर पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न–12 **प्राक्कलन में GST और Seigniorage Charge का क्या प्रावधान है?**

उत्तर :– किसी भी प्राक्कलन में प्रावधानित कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों का दर सरकार द्वारा जारी अनुसूचित दर (SOR) के आधार पर लिया जाता है। प्राक्कलन निर्माण के क्रम में यह जाँच लेना आवश्यक है कि सरकार द्वारा जारी SOR में GST एवं Seigniorage Charge का दर कितना लिया गया है।

1. यदि SOR में GST एवं Seigniorage Charge शामिल नहीं किया गया है तो लागु GST एवं Seigniorage Charge प्राक्कलन में जोड़ दिया जाना चाहिए।
2. यदि SOR तैयार करते समय लागु GST एवं Seigniorage Charge की दर में सरकार द्वारा किसी प्रकार का विचलन किया जाता है तो प्राक्कलन तैयार करते समय तद्नरूप प्राक्कलन में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।